

प्रेस नोट दिनांक- 29.05.2021

इटावा पुलिस द्वारा कछुआ तस्करी के अन्तराज्यीय गिरोह के 04 सदस्यों को विभिन्न प्रजातियों के 67 कछुआ (61 जिन्दा व 05 मृत),(अनुमानित कीमत 03 लाख रूपये) सहित गिरफ्तार किया गया ।

जनपद में अपराध, अपराधियों एवं प्रतिबन्धित जीव-जन्तुओं की तस्करी की रोकथाम के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ अपराध इटावा के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी टीम व थाना सिविल लाइन इटावा पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए कछुआ तस्करी के अन्तराज्यीय गिरोह के 04 सदस्यों को विभिन्न प्रजातियों के 67 कछुआ (61 जिन्दा व 05 मृत), (अनुमानित कीमत 03 लाख रूपये) सहित गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28/29.05.2021 की रात्रि को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं आपराधियों गतिविधियों की रोकथाम तथा प्रतिबन्धित जीव-जन्तुओं की तस्करी की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें समस्त क्षेत्राधिकारी तथा समस्त थाना प्रभारियों द्वारा क्षेत्र में निकलकर सम्पूर्ण जनपद में सघनता से चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एसओजी टीम व थाना सिविल लाइन इटावा पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि कुछ व्यक्ति पिलुअन मन्दिर के पास यमुना नदी के किनारे अवैध रूप से कछुओं को तस्करी के उद्देश्य से पकड़ कर ले जा रहे है । इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताए स्थान पिलुअन हनुमान मंदिर के पास यमुना नदी के किनारे पहुची तो पुलिस टीम को 04 व्यक्ति कछुओं को बोरो में भरते हुए दिखाई दिए । जिन्हे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर घेराबन्दी करते हुए सभी चारों अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया । गिफ्तार अभियुक्त की तलाशी लेने पर उनके पास बोरो में से 55 कछुए सुन्दरी प्रजाति ,06 कछुए चित्रा प्रजाति,06 कछुए सोनिया गैंगोटिक्स प्रजाति जिनमें से 05 कछुए मृत अवस्था में बरामद किए गए

पुलिस पूछताछ-

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों से की गयी पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम सभी लोग इन पकड़े हुए कछुओं को उत्तराखण्ड के व्यक्ति को 300-400 रुपए किग्रा के हिसाब से बेच देते है उक्त बरामद कछुओं को उनके संरक्षण हेतु वन विभाग के रेंज कार्यालय बढपुरा परिसर इटावा भेजा गया है ।

अभियुक्तों द्वारा किये गये कृत्य तथा उनके कब्जे से बरामद हुए कछुएं के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0स0 170/21 धारा 3,39,39(डी),51,52 वन्यजीव संरक्षण अधि0 अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. जगदीश पुत्र वंशीलाल निवासी कोकपुरा थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा।
2. सदानन्द पुत्र सशांक उर्फ शंकर मण्डल निवासी शक्ति फार्म, थाना सितारगंज उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड
3. सीटू उर्फ देवेन्द्र पुत्र स्व० गुलाब सिंह निवासी कोकपुरा थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा।
4. उदयवीर सिंह पुत्र स्वरूप सिंह निवासी कोकपुरा थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा ।

आपराधिक इतिहास -

1. जगदीश पुत्र वंशीलाल निवासी कोकपुरा थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा।

1. मु०अ०स० 32/2010 धारा 9,29,39,48,49,50,51 वन्यजीव संरक्षण अधि० थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
2. मु०अ०स० 140/2014 धारा 60 आबकारी अधि० थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
3. मु०अ०स० 498/2018 धारा 2/3 यू०पी० गैगस्टर एक्ट अधि० थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा ।
4. मु०अ०स० 275/2020 धारा 26/52 भारतीय वन अधि० व 39,48,50,51,9 वन्य जीव संरक्षण अधि० थाना सैफई जनपद इटावा
5. मु०अ०स० 280/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सैफई जनपद इटावा
6. मु०अ०स० 170/21 धारा 3,39,39(डी),51,52 वन्यजीव संरक्षण अधि० थाना सिविल लाइन जनपद इटावा

2.सीटू उर्फ देवेन्द्र पुत्र स्व० गुलाब सिंह निवासी कोकपुरा थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा।

1. मु०अ०स० 565/2020 धारा 60 आबकारी अधि० थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा
2. फॉरेस्ट रेन्ज बढपुरा केस न० 06/2019 धारा 3,9,39,39(डी),51,52 वन्य जीव संरक्षण अधि० ।
3. मु०अ०स० 170/21 धारा 3,39,39(डी),51,52 वन्यजीव संरक्षण अधि० थाना सिविल लाइन जनपद इटावा

बरामदगी-

1. 55 कछुए सुन्दरी प्रजाति
2. 06 कछुए चित्रा प्रजाति
3. 01 कछुए सोनिया गैंगोटिक्स प्रजाति
4. 05 कछुए सोनिया गैंगोटिक्स प्रजाति के मृत

पुलिस टीम- प्रथम टीम – श्री सतीश चन्द्र यादव प्रभारी एसओजी इटावा मय टीम, श्री बेचन सिंह प्रभारी सर्विलांस इटावा मय टीम।

द्वितीय टीम- श्री ओमप्रकाश पाण्डेय अतिरिक्त निरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था थाना सिविल
लाइन मय टीम

सोशल मीडिया सेल
जनपद इटावा।